



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1938 (श10)

(सं0 पटना 651) पटना, बुधवार, 10 अगस्त 2016

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचनाएं

10 अगस्त 2016

एस0 ओ0 186, दिनांक 10 अगस्त 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 35/1948) की धारा-10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, राज्य के सिनेमा गृहों में प्रदर्शित होने वाले हिन्दी चलचित्र 'गुटरूँ-गुटरूँ' को अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए मनोरंजन कर जो इस अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत देय है, से भुगतान की छूट देते हैं।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[सं0 बिक्री-कर/विमुक्ति-09/2016(छाया संचिका)-3059]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

10 अगस्त 2016

एस0 ओ0 187, एस0 ओ0 186 दिनांक 10 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 बिक्री-कर/विमुक्ति-09/2016(छाया संचिका)-3060]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

**10<sup>th</sup> August 2016**

S.O. 186, dated 10<sup>th</sup> August 2016— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35 of 1948), the Governor of Bihar is pleased to exempt the film “Gutrun Gutargun” to be exhibited in Cinema Halls of the State from payment of entertainment tax payable under section 3 (1) of the said Act for a period of one year from the date of issuance of the notification.

2. It shall come into force from date of issuance of the notification.

(File No. Bikrikar/Vimukti-09/2016-(Chhaya sanchika)-3059)

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner Commercial Taxes-Cum-Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 651-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>